

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 816 सन 2019
अनवान :-

1. विकास 2 नवीन पुत्र बलराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील
ऐलनाबाद तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामकरण पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब जिला सिरसा।
2. गिरदावरी पुत्री रामकरण पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर
3. विमला देवी पुत्री रामकरण पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी भूकरका
तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. चावली पुत्री रामकरण पत्नी दानाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
5. मेसर पुत्री रामकरण पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. अनकौरी देवी पुत्री रामकरण पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी फतेहपुरिया
तहसील रानिया जिला सिरसा
7. सावित्री देवी पुत्री रामकरण पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी जाखडावाली
तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. पारीदेवी पुत्री रामकरण पत्नी शंकरलाल जाति जाट निवासी जाखडावाली तहसील
नोहर जिला हनुमानगढ।
9. जमना पुत्री रामकरण पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी अरनियावाली जिला
सिरसा
10. सिलोचना पुत्री रामकरण पत्नी वृजलाल जाति जाट निवासी अरनियावाली जिला
सिरसा
11. कृष्णा पुत्री बलराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला
सिरसा
12. सुनीता पुत्री बलराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद
13. बलराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपरिथत : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :- 14/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया
की रोही मौजा ढाणी लालखा के खाता संख्या 96/93 की कुल 11.3060 हैक् भूमि वर्तमान
राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मगनीराम वल्द पेमाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड
में दर्ज थी वादी के दादा मगनीराम वल्द पेमाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद
भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के
दादा मगनीराम वल्द पेमाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज
हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का
प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 वादी की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री तथा
प्रतिवादी संख्या 11, 12 वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पौत्री है प्रतिवादी संख्या
2 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में
किया जा चुका है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को वादी का दादा है ने भी अपने हक

हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 13 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में झुंकार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मगनीराम वल्द पेमाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो/पौत्रो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 13 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 14 पेशकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी लालखा के खाता संख्या 96/93 की कुल 11.3060 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मगनीराम वल्द पेमाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मगनीराम वल्द पेमाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मगनीराम वल्द पेमाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 वादी की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री तथा प्रतिवादी संख्या 11,12 वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पौत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में किया जा चुका है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा है ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 13 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज

उपरोक्त अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा
नोहर

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 96/93 की कुल 11.3060हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


जमाबन्दी सम्वत 212 से 2015 एवं मिलान क्षेत्रफल तथा जमाबन्दी भु.प्रबन्ध विभाग सम्वत 2029 से 2038 के अनुसार वाद भूमि मगनीराम वल्द पेमाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मगनीराम वल्द पेमाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मगनीराम वल्द पेमाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 96/93 की कुल 11.3060हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/09/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. विकास 2 नवीन पुत्र बलराम जाति जाट निवासी विलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. रामकरण पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी विलकनी ढाब जिला सिरसा।
2. गिरदावरी पुत्री रामकरण पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर
3. विमला देवी पुत्री रामकरण पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. चावली पुत्री रामकरण पत्नी दानाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
5. गेसर पुत्री रामकरण पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. अनकौरी देवी पुत्री रामकरण पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी फतेहपुरिया तहसील रानिया जिला सिरसा
7. सावित्री देवी पुत्री रामकरण पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. पारीदेवी पुत्री रामकरण पत्नी शंकरलाल जाति जाट निवासी जाखडावाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. जमना पुत्री रामकरण पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी अरनियावाली जिला सिरसा
10. सिलोचना पुत्री रामकरण पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी अरनियावाली जिला सिरसा
11. कृष्णा पुत्री बलराम जाति जाट निवासी विलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
12. सुनीता पुत्री बलराम जाति जाट निवासी विलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद
13. बलराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी विलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 816 सन 2019 निर्णय दिनांक-04/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 96/93 की कुल 11.3060 हैक्ठु भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 तीनों वहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर